फर्द अहकाम

सांवरमल व अन्य **बनाम** जगदीश व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 168/2014

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि[illegible]
		किया गया। साथ ही साक्ष्य का सशोधित शपथ-पत्र वादीगण, मोहन लाल, सांवलमल, गवाह बुधराम, रामपाल ने पेश किया। प्रदर्श अंकित किया गया। लिए [illegible] गई पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28/7/22 को पेश हो। sd	
	28/7/22	व-वादी उप./ बहस अंतिम अधिवक्ता वादी भी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली जेरेस शामिल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। sd उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 168/2014

उनवान

1. सांवरमल पुत्र स्व0 श्री विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, हाल निवासी श्रीजी का मन्दिर, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, हाल निवासी पटवों का मौहल्ला, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी श्रीजी का मन्दिर, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. मदन पुत्र स्व0 विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी श्रीजी का मन्दिर, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. परमानन्द पुत्र स्व0 विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी पटवों का मौहल्ला, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
4. रामगोपाल पुत्र स्व0 विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी केयर ऑफ श्रीजी प्लाईवुड, रीको औधोगिक क्षेत्र ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
5. भगवान सहाय पुत्र स्व० विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी पटवों का मौहल्ला, ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
6. भगवती देवी पत्नी स्व0 अमरचन्द, पुत्री स्व0 विजय नारायण (मृतक दौराने दावा)

   6/1 अनिवास पुत्र श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्व० अमरचन्द, जाति ब्राहम्ण, हाल निवासी ब्रहम्पुरी कस्बा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

   6/2 श्रीमती इन्द्रमणी देवी पुत्री स्व0 भगवती देवी पत्नी अमरचन्द पत्नी सत्यनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी बराला गार्डन के पास, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी महावीर, पुत्री स्व0 विजय नारायण, जाति ब्राहम्ण, हाल निवासी जोडला पॉवर हाउस के पास, जयपुर, जिला जयपुर।
8. उप–पंजियक महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. कौशल्या देवी पुत्री स्व० विजय नारायण, पत्नी स्व0 हरिनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी हाल मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
11. सुमित्रा देवी पुत्री स्व0 विजय नारायण, पत्नी [illegible], जाति ब्राहम्ण, हाल निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, दुरस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 28.07.2022

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, पटवार हल्का कालाडेरा, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 260 में वर्णित खसरा नम्बर 2333 रकबा 1.18 हैक्टेयर, आराजीयात ही उक्त वाद पत्र में

विवादग्रस्त हैं, जिसे वाद पत्र की अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जा रहा हैं।

उक्त वर्णित विवादग्रस्त के पूर्व खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 के पिता स्व० विजय नारायण जी थे, जिनके द्वारा अपने जीवन काल में ही उपरोक्त वर्णित विवादित आराजीयात को दिनांक 24.05.1970 को वादीगण को 2400/– रूपये अक्षरे दो हजार चार सौ रूपये में विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, जिस पर वादीगण दिनांक 24 मई 1970 से ही बाहैसियत मालिक स्वामी काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लगे, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 के पिता विजय नारायण जी की मृत्यु दिनांक 31.12.1990 को हो जाने पर स्व0 विजय नारायण जी का फौती नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 की माता स्व0 श्रीमती बिदामी देवी के नाम विवादित भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, किन्तु उक्त आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा काश्त दिनांक 24 मई 1970 से निरन्तर निर्बाध रूप से रहा, वादीगण द्वारा अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की उक्त खातेदारी विवादित भूमि के चारों ओर पुख्ता बाउण्डीवाल निर्मित कर रखी हैं एवं दो लोहे के गेट लगा रखे हैं, जिनसे वादीगण उक्त विवादित आराजीयात में आन जान कर निरन्तर, निर्बाध रूप से करीब 44 वर्षो से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 11 स्व0 विजय नारायण की एवं स्व० बिदामी देवी के पुत्र एवं पुत्रियां हैं। स्व0 श्रीमती बिदामी देवी जो कि वादीगण की माता थी कि मृत्यु दिनांक 29.01.1993 को हो गई, स्व० बिदामी देवी का सजरा खानदान निम्न प्रकार से हैं:–

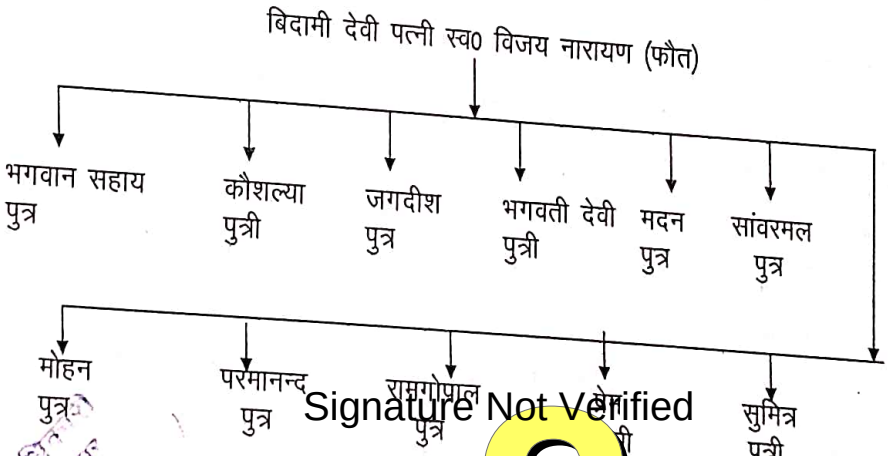

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा उक्त वर्णित विवादित आराजीयात पर दिनांक 29.05.1970 से ही निर्बाध काबिज होकर व काश्त कर निरन्तर उपयोग उपभोग कर, राज्य सरकार को लगान अदा किया जाता रहा हैं, जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 को रही हैं। इस बाबत कोई भी आपत्ति प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 द्वारा स्व० विजय नारायण जी एवं स्व० श्रीमती बिदामी देवी के जीवन काल में एवं

उनकी मृत्यु पश्चात् लगभग 44 वर्ष में कभी भी नहीं की गई, इस प्रकार वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर लगातार निर्बाध रूप से बाहैसियत मालिक काबिज होकर विवादित आराजीयात का निरन्तर निर्बाध रूप से 44 वर्ष से भी अधिक समय से उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 द्वारा निर्बाध रूप से वादीगण के कब्जे काश्त को स्वीकार किया गया हैं।

उक्त वर्णित विवादित भूमि के पूर्व खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 के पिता स्व0 विजय नारायण जी की मृत्यु के पश्चात् सहवन से उक्त खातेदारी वादीगण के स्थान पर वादीगण की माता स्व० बिदामी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई, जिसको दुरूस्त किये जाने बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 से विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर स्व० श्रीमती बिदामी देवी के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कर, राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किये जाने का आश्वासन दिया गया। जिस पर वादीगण द्वारा पारिवारिक सदस्य होने के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास किया गया। स्व० श्रीमती बिदामी देवी की मृत्यु पश्चात् भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 से विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर, उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 व 10 ता 11 द्वारा वादीगण को आश्वासन दिया गया कि जब कभी भी वादीगण को आवश्यकता होगी, तभी वे वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा कर विवादित भूमि के रिकार्ड में दर्ज करवा देगें, जिस पर वादीगण द्वारा सद्भावना पूर्वक विश्वास किया गया। उक्त रिकार्ड दुरुस्ती की एवज में ही प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 11 द्वारा विवादित भूमि 1/11, 1/11 हिस्से का हक त्याग जरिये रजि० हक त्याग पत्र के दिनांक 28.05.2014 को वादीगण के हक में हक त्याग पत्र सम्बन्धित उप–पंजियक महोदय चौमू के समक्ष निष्पादित किया गया। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 द्वारा विवादित भूमि बाबत वादीगण के हक अधिकार को स्वीकार कर रजि० हक त्याग पत्र के जरिये दिनांक 28.05.2014 को वादीगण के हक में 1/11, 1/11 हिस्से का त्याग कर दिया गया। उक्त त्याग पत्र के निष्पादन के पश्चात् वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को [illegible] जाने व विवादित भूमि बाबत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करवाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीगण को राजस्व रिकार्ड को शिघ्र ही दुरूस्त करवाये जाने का आश्वासन दिया गया। जिस पर वादीगण द्वारा सद्भावना पूर्वक विश्वास किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 द्वारा क्रमशः – विवादित भूमि में निहित स्वंय के सम्पूर्ण हिस्से 1 / 11, 1 / 11, 1 / 11 भाग को जरिये रजि० त्याग पत्र के दिनांक 03.01.2020, पंजियन दिनांक 19.07.2022, दिनांक 27.06.2014, पंजिवद्ध दिनांक 19.07. 2022, दिनांक 11.06.2014 पंजियन दिनांक 11.06.2014 को वादीगण के हक में त्याग कर दिया गया हैं, जिस कारण अब उक्त प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 5 का व प्रतिवादीया संख्या 10 व 11 का कोई हक अधिकार विवादित भूमि में निहित नहीं रहा हैं।

दिनांक 03.08.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 आपस में संगठित एवं एकराय होकर भूमि विवादित पर आये तथा वादीगण को विवादित भूमि से जबरिया बेदखल कर, कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे, जिसका वादीगण द्वारा विरोध किया जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीगण को ऐलानियां धमकी दी कि वे वावदीगण को विवादित भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देगें, तथा विवादित भूमि से वादीगण को जबरिया बेदखल कर उस पर कब्जा लेगें, तथा भूमि को खुर्द बुर्द कर देगें, तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 से साज कर विवादित भूमि बाबत विक्रय पत्र, हस्तान्तरण पत्र इत्यादि निष्पादित करवा कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन या परिवर्धन कर देगें, जिसमें वादीगण ने कोई एतराज किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 9 के कार्यालय में दिनांक 03.08.2014 को उपस्थित होकर छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 प्रतिवादी संख्या 9 से साझ कर विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड बाबत विधि विरूद्ध रूप से मिथ्या आधार पर बिना किसी कब्जे के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने पर आमदा हैं, इस सन्दर्भ में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही की जा रही हैं, जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 से निवेदन करने पर कि किसी भी लेख पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के विवादित भूमि बाबत प्रस्तुत किये जाने पर उसे तस्दीक नहीं किया जावें एवं भूमि के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 द्वारा वादीगण की प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर, वादीगण को डरा धमका कर भगा दिया। इसलिये श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादीगण को निम्न अनुतोष प्रदान किया जावें:–

(क) वाद वादीगण बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्रा[illegible] डिक्री किया जाकर वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला [illegible] में स्थित [illegible] खसरा नम्बर 2333 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में स्व० बिद[illegible] के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किया जाकर वादीगण को लि[illegible] दिनांक 24.05.1970 एवं त्याग पत्र दिनांक 28.05.2014, दिनांक 27.06.2014, पंजियन दिनांक 19.07.2022, दिनांक 03.01.2020, पंजियन दिनांक 19.07.2022, दिनांक 11.06.2014 पंजियन दिनांक 11.06.

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

2014 के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावें।

(ख) वादीगण विवादित भूमि पर निरन्तर 44 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, जिस कारण वादीगण को विकल्प में विवादित भूमि का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक स्वामी घोषित किया जावें एवं विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ कर स्व0 बिदामी देवी के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम अंकित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी की जावें।

(ग) वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2333 रकबा 1.18 हैक्टेयर के वादीगण द्वारा किये जा रहे शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही उक्त विवादित भूमि के चारों ओर निर्मित पुख्ता बाउण्डीवाल को ही तोड फोड करें, ना ही विवादित भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को विक्रय, हस्तान्तरित ही करें, ना ही वादीगण को उनके कब्जे काश्त से जबरिया बेदखल करें, ना ही विवादित भूमि के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 9 से साझ कर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन या परिवर्धन ही करें, प्रतिवादी संख्या 8 विवादित भूमि बाबत अपने सम्मुख प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के किसी भी विक्रय पत्र, हस्तान्तरण पत्र, रहन पत्र इत्यादि के प्रस्तुत किये जाने पर उसे तस्दीक नहीं करें तथा प्रतिवादी संख्या 9 विवादित भूमि बाबत किसी भी प्रकार के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें, उक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें। अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 विवादित भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति यथावत बनाये रखे।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तलबी अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य मे शपथ पत्र तहत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 के पेश कर दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 स्व0 विजयनारायण का असल मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श–2 बिदामी देवी का कुर्सीनामा, प्रदर्श–3 बही में लिखावट की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–4 सुमित्रा देवी द्वारा वादीगण के हक [illegible] त्याग पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 त्याग पत्र की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–6 विवादित भूमि की जमाबन्दी, प्रदर्श–7 लगायत प्रदर्श–11 उपपंजीयक द्वारा जारी त्याग पत्र की रशीदे, प्रदर्श–12 भगवान सहाय द्वारा वादीगण के हक में निष्पादित बक्शीशनामें की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–13 लगायत प्रदर्श–14 परमानन्द तथा मदनलाल द्वारा वादीगण के हक में निष्पादित पंजीबद्ध त्याग पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश कर लाल स्याही से प्रदर्श अंकित किये गये। अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण की ओर से एकपक्षीय बहस कर निवेदन कर जाहिर किया गया कि वाद मे वर्णित विवादित भूमि को वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 व 10 लगा. 11 के पिता स्व. विजयनारायण जी के पिता अपने जीवनकाल में ही दिनांक 24 मई 1970 को 2400/– रूपये दो हजार चार सौ रूपये मे विक्रय कर दिया गया था जिस बाबत लिखावट भी दिनांक 24.05.1970 को निष्पादित की गई थी तब से ही वादीगण विवादित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा वादीगण के पिता स्व. विजयनारायण जी की मृत्यु सन् 1990 मे हो चुकी है जिनकी मृत्यु उपरांत फोती नामान्तरण वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 व 10 लगा. 11 एवं उनकी माता स्व. श्रीमती बिदामी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुआ। किन्तु उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जाकाश्त दिनांक 24.5.1970 से निरन्तर चला आ रहा है तथा वादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि के चारो ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल निर्मित कर व दो लोहे के गेट लगा रखे है। इस प्रकार वादीगण 44 वर्षो से भी अधिक समय से विवादित भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। तथा वादीगण की माता श्रीमती बिदामी देवी की दिनांक 24.1.1993 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण द्वारा ही विवादित भूमि का राज्य सरकार को लगान अदा किया जाता रहा है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 7 व प्रतिवादीगण सं. 10 लगा. 11 द्वारा वादीगण के विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त को स्वीकार किया गया है किन्तु स्व. विजयनारायण जी की मृत्यु उपरांत सहवन से विवादित भूमि में बतौर खातेदार वादीगण के स्थान पर उनकी माता स्व. श्रीमती बिदामी देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो गया जिसे दुरुस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 10 लगा. 11 द्वारा विवादित भूमि मे निहित अपने हिस्से 1/11–1/11 भाग को जरिये रजि० त्याग पत्र के दिनांक 28.5.2014 को वादीगण के हक में त्याग कर दिया गया है तथा इसी के साथ प्रतिवादीगण सं. 2 मदन लाल, प्रतिवादी सं. 3 परमानंद, तथा प्रतिवादी सं. 5 भगवान सहाय द्वारा भी विवादित भूमि में निहित अपने हक अधिकार व हिस्से की भूमि 1/11–1/11 भाग को जरिये रजि० त्याग पत्र के वादीगण के हक में क्रमशः दिनांक 3.1.2020 पंजीयन दिनांक 19.7.2022, दिनांक 27.6.2014 पंजीयन दिनांक 19.7.2022, दिनांक 11.6.2014 को त्याग कर दिया गया है तथा अब प्रतिवादीगण सं. 2, 3 [illegible] व 11 का विवादित भूमि में कोई अधिकार निहित नही है [illegible] को परिक्षित करवाते हुए प्रतिवादी सं. 2, 3, 5 तथा प्रतिवादीगण [illegible] व 11 द्वारा वादीगण के हक में निष्पादित रजि० त्याग पत्रो की प्रमाणित प्रतिलिपि [illegible] कर उन्हें प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, प्रदर्श–12 लगायत प्रदर्श–14 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है तथा स्व. विजयनारायण जी द्वारा निष्पादित लिखावट दिनांक 24.5.1970 को भी बतौर प्रदर्श–3एवं विजयनारायण जी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बिदामी देवी का कुर्सीनामा प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्शित करवाया गया है जिस कारण वादीगण का वाद पत्र डिक्री कर वादीगण को वाद पत्र में वर्णित अनुतोष दिलवाया जावे।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात जिनमे जमाबंदी प्रदर्श–6, लिखावट दिनांक 24.5.1970 प्रदर्श–3, तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 व 5 तथा प्रतिवादीगण सं. 10 व 11 द्वारा वादीगण क, हक में निष्पादित त्याग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां जो कि प्रदर्श–4, प्रदर्श–5, प्रदर्श–12 लगायत प्रदर्श–14 है एवं अन्य प्रदर्शित दस्तावेजात का न्यायालय द्वारा अध्ययन कर मनन किया गया चूंकि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। तथा वादीगण द्वारा वाद पत्र अंकित अभिवचनो के समर्थन मे शपथ पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न किया गया है जिनका कोई खण्डन प्रविवादीगण की ओर से बावजूद तामिल के लिखित रूप से जवाबदेही प्रस्तुत कर नही किया गया है। इस प्रकार वादीगण के अभिवचन अखण्डनीय है तथा वादीगण द्वारा अपनी अभिवचनों के समर्थन में अपने पिता स्व. श्री विजयनारायण जी द्वारा निष्पादित लिखावट दिनांक 24.5.1970 की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष प्रदर्श के रूप में प्रदर्शित करवायी गई है। जो कि स्व. श्री विजयनारायण जी द्वारा नियमित अनुक्रम में लिखी जाने वाली बही मे लिखी गई है जो कि 30 वर्ष से भी अधिक पुराना दस्तावेज है जिस पर स्व0 विजयनारायण जी के हस्ताक्षर है जिससे विवादित भूमि स्व0 विजयनारायण जी द्वारा वादीगण को दी गयी है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है। जिसके समर्थन मे वादीगण द्वारा स्वयं की साक्ष्य के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये इसी के साथ वादीगण द्वारा वाद पत्र को प्रस्तुती करते समय यह भी स्पष्ट अभिवचन अंकित किये है कि प्रतिवादीगण सं. 10 व 11 द्वारा वाद पत्र मे वर्णित विवादित भूमि मे निहित अपने हक अधिकार व हिस्से की भूमि 1/11–1/11 भाग को लिखावट दिनांक 24.5.1970 की अनुपालना मे जरिये रजि० त्याग पत्र के दिनांक 28.5.2014 को त्याग कर दिया गया था जिन रजि० त्याग पत्रो की प्रमाणित प्रतिलिपि भी वादीगण द्वारा प्रदर्श– 4 लगायत प्रदर्श–5 के रूप में प्रदर्शित करवायी गई है एवं दौराने दावा प्रतिवादीगण सं. 2, 3 व 5 द्वारा वादीगण के हक में निष्पादित रजि० त्याग पत्र क्रमशः दिनांक 3.1.2020 पंजीयन दिनांक 19.7.2022 दिनांक 27.6.2014 पंजीयन दिनांक 19.7.2022 तथा दिनांक [illegible] को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्श–12 लगायत प्रदर्श–14 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है जो कि पंजीबद्ध दस्तावेजात है जिन्हे आज दिवस तक भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया गया है एवं उक्त त्याग पत्रों के जरिये वादीगण के हक में विवादित भूमि के हिस्से का त्याग किया गया है। वादीगण द्वारा बतौर साक्षी स्वयं को परिक्षित करवाने के साथ साथ ही दो स्वतंत्र साक्षी के रूप में रामधन यादव व बुदराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

सिंह को भी परिक्षित करवाया गया है जिनके द्वारा भी विवादित भूमि पर वादीगण द्वारा अरसा दराज से काबिज काश्त होना व आज दिवस तक निरन्तर उपयोग उपभोग किये जाने बाबत साक्ष्य सशपथ दर्ज करवायी गयी है। जिसमें कोई जिरह नही की गई है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र मे वर्णित सशपथ अभिवचनो के समर्थन में प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजात की रोशनी में वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को स्पष्ट रूप से साबित किया गया है जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से ना तो जवाबदेही के जरिये ना ही मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये पर्याप्त तामिल होने के बावजूद किया गया इस प्रकार वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य तथा दौराने साक्ष्य प्रस्तुत किये गये प्रदर्शित दस्तावेजातो जिनमे कि प्रदर्श–3 लिखावट दिनांक 24.05.1970 30 वर्ष से भी अधिक पुरानी लिखावट है तथा प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 तथा प्रदर्श–12 लगा प्रदर्श–14 जो कि रजि० त्याग पत्र है पर अविश्वास करने का कोई कारण नही होने से तथा वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र को पूर्णतया साबित करने से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का कानूनन स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं वादीगण को वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, पटवार हल्का कालाडेरा, जिला जयपुर के हाल खाता संख्या 260 में वर्णित खसरा नम्बर 2333 रकबा 1.18 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि का लिखावट दिनांक 24.05.1970 एवं त्याग पत्र दिनांक 28.05.2014, दिनांक 27.06.2014, पंजियन दिनांक 19.07.2022, दिनांक 03.01.2020, पंजियन दिनांक 19.07.2022, दिनांक 11.06.2014 पंजियन दिनांक 11.06.2014 के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के एवं विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्व0 श्रीमति बिदामी देवी के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:25:22 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा खेतान)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)